कभी बदनाम था मुखबिरी का काम, अब 'सीक्रेट नागरिक' बनकर मिलेगा सम्मान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः एक दौर था जब पुलिस का मुखबिर होना समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। आम लोगों के बीच मुखबिरी को लेकर तरह-तरह की धारणाएं थीं। पुलिस के लिए सूचना देने वाले व्यक्ति को लोग अक्सर शक की निगाह से देखते थे, जबकि अपराधियों और बदमाशों के लिए ऐसे लोग सीधे दुश्मन माने जाते थे। मुखबिर होने की भनक लगने पर उनकी जान तक खतरे में पड़ जाती थी।

लेकिन समय बदला है और पुलिसिंग का तरीका भी बदल रहा है। अब इसी भूमिका को एक नई पहचान देने की तैयारी है। भोपाल पुलिस की प्रस्तावित 'माइक्रो बीट' व्यवस्था में ऐसे जागरूक और भरोसेमंद नागरिकों को गोपनीय रूप से जोड़ा जाएगा, जिन्हें 'सीक्रेट नागरिक' या 'माइक्रो बीट नागरिक प्रभारी' की भूमिका दी जाएगी। यानी पुराने जमाने के 'खबरी लाल' अब नए दौर में सम्मानजनक पहचान के साथ पुलिस के लिए आंख-कान का काम करेंगे।

मुखबिर से 'सीक्रेट नागरिक' तक का सफरः पहले पुलिस को अपराध और बदमाशों की गतिविधियों की जानकारी देने वाले लोगों की पहचान बेहद गोपनीय रखी जाती थी। इसके बावजूद समाज में मुखबिरी करने वाले व्यक्ति को लेकर सकारात्मक धारणा नहीं थी। अपराधियों के बीच भी पुलिस के मुखबिरों को लेकर खौफ रहता था और उनकी पहचान उजागर होना उनके लिए गंभीर खतरा बन सकता था। अब पुलिस इसी स्थानीय सूचना तंत्र को नए तरीके से विकसित करने जा रही है। फर्क सिर्फ इतना नहीं है कि नाम बदल रहा है, बल्कि पुलिस और नागरिक के बीच इस रिश्ते को व्यवस्थित और जिम्मेदार पुलिसिंग का हिस्सा बनाया जा रहा है।

अब 'खबरी लाल' नहीं, सीक्रेट नागरिकः नई व्यवस्था में चयनित नागरिकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी। वे अपने इलाके में संदिग्ध गतिविधियों, नशाखोरी, अपराधियों की सक्रियता, संदिग्ध आवाजाही और संभावित विवादों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाएंगे। यानी काम काफी हद तक वही रहेगा, जिसे पुराने जमाने में 'मुखबिरी' कहा जाता था, लेकिन नाम, तरीका और भूमिका का स्वरूप बदल जाएगा।

मुखबिर शब्द की जगह सम्मान की पहचानः पुलिस की इस पहल में सबसे बड़ा बदलाव शायद शब्दावली का है। जिस काम को कभी 'मुखबिरी' कहकर सामाजिक रूप से नकारात्मक नजर से देखा जाता था, वही काम अब 'सीक्रेट नागरिक' जैसी पहचान के साथ पुलिसिंग का हिस्सा बनाया जा रहा है। हालांकि भूमिका की प्रकृति में स्थानीय सूचना देना आज भी मुख्य है, लेकिन नई व्यवस्था में इसे नागरिक सहभागिता, अपराध की रोकथाम और पुलिस की जवाबदेही से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी पुराने दौर का 'खबरी लाल' अब नए जमाने का 'सीक्रेट नागरिक' होगा—चेहरा गुप्त रहेगा, सूचना गोपनीय रहेगी और मकसद होगा अपराध से पहले उसकी आहट पुलिस तक पहुंचाना।

पुलिसकर्मियों पर भी रखेंगे नजर

'सीक्रेट नागरिक' केवल अपराधियों की गतिविधियों की जानकारी ही नहीं देंगे। यदि उनके इलाके में तैनात बीट प्रभारी या कोई पुलिसकर्मी सूचना मिलने के बावजूद लापरवाही करता है, तो उसकी जानकारी भी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई जा सकेगी। इस तरह ये नागरिक एक तरफ पुलिस के लिए स्थानीय सूचना तंत्र का काम करेंगे तो दूसरी तरफ पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी अप्रत्यक्ष नजर रखेंगे।

बदमाशों की नजर से बचाकर होगी पुलिस की मदद

इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पहचान की गोपनीयता है। जिस नागरिक को माइक्रो बीट से जोड़ा जाएगा, उसकी पहचान सीमित स्तर पर ही रखी जाएगी। इससे अपराधियों या असामाजिक तत्वों को यह पता लगाना मुश्किल होगा कि इलाके में पुलिस तक सूचनाएं कौन पहुंचा रहा है। स्थानीय नागरिक होने के कारण ये लोग अपने इलाके की गतिविधियों को करीब से समझ सकेंगे और पुलिस को समय रहते महत्वपूर्ण जानकारी दे सकेंगे।

अपराध होने से पहले मिलेगी सूचना

पुलिस की इस कवायद का मूल उद्देश्य अपराध के बाद कार्रवाई के बजाय अपराध की आहट पहले पकड़ना है। मोहल्ले और गलियों में होने वाली छोटी-छोटी संदिग्ध गतिविधियां अक्सर किसी बड़े अपराध का संकेत हो सकती हैं। यदि इनकी सूचना समय पर पुलिस को मिल जाए तो संभावित वारदात को टाला जा सकता है।

मोती मस्जिद की बैरिकेडिंग को लेकर गरमाया विवाद, व्यापारियों ने मांगा रास्ता

यातायात में बाधक 16 ब्लैक स्पॉट

- सांसद आलोक शर्मा के नेतृत्व में कमिश्नर से मिले व्यापारी, बोले बाजारों तक पहुंच हुई मुश्किल
- पुलिस आयुक्त ने कहा विशेषज्ञों की राय के बाद होगा फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पुराने शहर के मोती मस्जिद चौराहे पर लंबे समय से लगी बैरिकेडिंग को लेकर व्यापारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शनिवार को भोपाल सांसद आलोक शर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से मुलाकात कर बैरिकेडिंग तत्काल हटाने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि बैरिकेडिंग के कारण चौक बाजार, लखेरापुरा, सराफा, जुमेराती, बुधवारा और इब्राहिमपुरा जैसे प्रमुख बाजारों तक वाहनों की सीधी पहुंच बाधित हो गई है। ग्राहकों और व्यापारियों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। मोती मस्जिद और उसके आसपास के सभी ठेले वाले और अतिक्रमण को हटाकर क्लियर करवाया जाए। इससे पहले शुक्रवार को चौक बाजार और लखेरापुरा के व्यापारियों ने मोती मस्जिद के बाहर प्रदर्शन कर आंशिक बंद रखा था। व्यापारियों ने तिरंगा लेकर बैरिकेडिंग हटाने की मांग की और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद कुछ व्यापारियों ने विधायक आतिफ अकील के साथ भी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी।

दमकल पहुंचने में देरी का भी मुद्दा उठा

व्यापारियों ने 31 जुलाई को चौक बाजार की एक कपड़े की दुकान में लगी आग का हवाला देते हुए कहा कि बैरिकेडिंग और बदली हुई यातायात व्यवस्था के कारण दमकल को मौके तक पहुंचने में परेशानी हुई। व्यापारियों का कहना है कि बाजारों में आपात स्थिति के दौरान दमकल और एंबुलेंस जैसी सेवाओं की सीधी पहुंच बेहद जरूरी है। व्यापारियों के अनुसार राजा भोज सेतु की ओर से आने वाले वाहनों को सदर मंजिल और चिरायु अस्पताल की ओर से लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इससे थोक खरीदारों और आम ग्राहकों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। व्यापारिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन आगे भी जारी रखा जाएगा।

तत्काल हटाने पर फैसला नहीं

बैरिकेडिंग हटाने की मांग पर पुलिस ने फिलहाल कोई तत्काल निर्णय नहीं लिया है। एसीपी ट्रैफिक विजय दुबे के अनुसार बैरिकेडिंग हटाने या बनाए रखने का फैसला जिला रोड सेफ्टी कमेटी करेगी। इसके लिए सड़क और यातायात विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भी व्यापारियों से चर्चा के बाद कहा कि विशेषज्ञों का समूह बुलाकर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। विशेषज्ञों की राय के आधार पर यातायात को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

कब हटेगी बैरिकेडिंग, अभी तय नहीं

फिलहाल मोती मस्जिद चौराहे की बैरिकेडिंग हटाने की कोई निश्चित तारीख या समय-सीमा घोषित नहीं की गई है। प्रशासन का कहना है कि निर्णय केवल व्यापारियों की मांग के आधार पर नहीं, बल्कि यातायात सुरक्षा और पूरे क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। अब व्यापारियों की नजर विशेषज्ञों की रिपोर्ट और जिला रोड सेफ्टी कमेटी के निर्णय पर है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद एमपी में विशेष अभियान

अब तक 30 संदिग्ध बांग्लादेशी भेजे गए वापस, फर्जी दस्तावेजों की जांच तेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मध्य प्रदेश में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान, दस्तावेजों के सत्यापन और उनकी वापसी को लेकर विशेष अभियान जारी है। अभियान के तहत अब तक 30 लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा जा चुका है। जांच में इनके पास भारतीय नागरिकता से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के सत्यापन के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने विशेष पोर्टल तैयार किया है। इस पर संदिग्धों से जुड़ी जानकारी दर्ज की जा रही है। पोर्टल के जरिए पहचान, आपराधिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन किया जा रहा है।

जून 2025 से शुरू हुआ सत्यापन अभियान

केंद्र सरकार ने जून 2025 में सभी राज्यों को संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और उनके दस्तावेजों के सत्यापन के निर्देश दिए थे। इसके बाद तत्कालीन मुख्य सचिव अनुराग जैन ने गृह विभाग, पुलिस और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की रूपरेखा तय की थी। सभी जिलों में थाना प्रभारियों को संदिग्ध लोगों की पहचान और सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पहचान प्रक्रिया में भाषा, कामकाज और अन्य उपलब्ध जानकारियों के आधार पर संदिग्धों को चिह्नित किया गया।

3,278 लोग चिह्नित, 30 की हुई वापसी

अभियान के दौरान प्रदेश में कुल 3,278 लोगों को चिह्नित किया गया। मार्च 2026 तक 19 लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा जा चुका था। इसके बाद दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अप्रैल में मध्य प्रदेश पुलिस की 20 सदस्यीय टीम पश्चिम बंगाल भेजी गई। वहां की जांच में भी इन 19 लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। अब तक वापस भेजे गए लोगों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अभियान आगे भी जारी रहेगा और संदिग्धों के दस्तावेजों की जांच तथा फर्जी दस्तावेजों के मामलों में कार्रवाई को और तेज किया जाएगा।

डीजीपी ने नियमित समीक्षा के दिए निर्देश

डीजीपी कैलाश मकवाणा ने हाल में कानून-व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में अभियान की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक मिलने पर उनकी गहन जांच की जाए। साथ ही, जिन राज्यों से उनके पहचान संबंधी दस्तावेज जारी हुए हैं, वहां के गृह विभाग से समन्वय कर दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि की जाए।

ग्वालियर में 13 संदिग्ध हिरासत में

इसी सप्ताह ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने 13 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पुलिस उनके दस्तावेजों का सत्यापन करने के साथ ही पूछताछ कर रही है। वहीं, सीहोर जिले में 27 साल से अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

इमामी गेट पर युवक पर जानलेवा हमला, छुरी-रॉड से ताबड़तोड़ वार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पुराने शहर के इमामी गेट इलाके में देर रात एक युवक पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। रात के 2.30 बजे भाजपा कार्यालय के सामने हुई वारदात में आरोपियों ने युवक पर छुरी और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार किए। हमले में युवक के गले समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। घायल को उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया है।

घायल युवक की पहचान आसिल के रूप में बताई गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवक का कुछ समय पहले निशातपुरा इलाके में आरोपियों से विवाद हुआ था। इसी पुरानी रंजिश को हमले की वजह माना जा रहा है। जिसमे समझौता करने के लिये दबाव बनाने की वजह से हुए हमला।हालांकि पुलिस जांच के बाद ही हमले की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।

4-5 से ज्यादा युवकों ने घेरा

घायल आसिल ने आरोप लगाया है कि देर रात उसे चार से पांच से अधिक युवकों ने घेर लिया और अचानक हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने छुरी और रॉड से उसके ऊपर कई वार किए। हमले के दौरान गले सहित शरीर के कई हिस्सों में गहरे घाव आए।

वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया।

आरोपियों के नाम सामने आए

घायल पक्ष की ओर से हमले में साहिल काला, मुजम्मिल और अलफेज उर्फ नक्करखाना सहित अन्य युवकों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस अब आरोपियों की भूमिका और हमले में इस्तेमाल हथियारों की जानकारी जुटा रही है।

निशातपुरा के विवाद से जुड़ी कड़ी

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घायल युवक के भाई का निशातपुरा क्षेत्र में कुछ युवकों से पहले विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच रंजिश चलने की बात कही जा रही है। पुलिस इस पुराने विवाद और वर्तमान हमले के बीच संबंध की जांच कर रही है। पुलिस ने मौके की जानकारी जुटाने के साथ आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद हमले में शामिल सभी आरोपियों की भूमिका स्पष्ट होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

---

13 साल की बच्ची की मौत

शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि, पुलिस कई एंगल पर जांच कर रही

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः एमपी नगर थाना क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग बच्ची की मौत के मामले में शॉर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण हैंगिंग बताया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और कई संदेहास्पद पहलुओं पर पड़ताल जारी है।

परिवार ने पुलिस को बताया था कि बच्ची स्कूल गई थी और उसके बाद से गायब हो गई। परिवार का यह भी दावा था कि फिरौती की मांग करते हुए अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज की जांच में बच्ची स्कूल जाते हुए नहीं दिखी। लाश घर पर ही मिली। इस विरोधाभास को लेकर पुलिस परिवार के बयानों की भी जांच कर रही है। बच्ची के पास से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखावट है। पुलिस को शक है कि हिंदी में लिखी एक लाइन बाद में जोड़ी गई हो सकती है। उस लाइन में एक युवक का नाम है, जिससे पूछताछ की जा रही है।

जांच में यह भी सामने आया है कि नाबालिग की कलाई कटी हुई थी और मौके पर दो जगह युवती का खून मिला। प्राइवेट पार्ट में भी खून मिलने की जानकारी मिली है। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है।

अभी मामला प्रारंभिक चरण में है। पोस्टमॉर्टम की विस्तृत रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के नतीजे आने बाकी हैं। पुलिस सभी पहलुओं—परिवार के बयान, सीसीटीवी, सुसाइड नोट की प्रामाणिकता और अन्य संदिग्ध बिंदुओं—पर जांच आगे बढ़ा रही है।

2020 में जारी किया था एकांगी मार्ग का आदेश

नप्र, भोपाल : तत्कालीन कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने 17 जून 2020 को आदेश जारी कर पुराने भोपाल के आठ प्रमुख मार्गों को एकांगी घोषित किया था। इसमें रेतघाट-मोती मस्जिद, सदर मंजिल, चिरायु गली, पीरगेट, इमामबाड़ा चौकी, जुमेराती रोड, भवानी चौक और लक्ष्मी टॉकीज रोड सहित अन्य मार्ग शामिल थे। आदेश में वन-वे व्यवस्था से पहले संकेतक बोर्ड, डिवाइडर और बैरिकेडिंग लगाने तथा यातायात सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।

तेंदुए के अवैध शिकार मामले में आठवां शिकारी गिरफ्तार

तेंदुए के अवैध शिकार और तस्करी के संगठित गिरोह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मध्यप्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने आठवें आरोपी शिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर मुरैना जिले के बीहड़ों में गाड़कर रखा गया तेंदुए का कंकाल, अन्य वन्यजीव अवयव और शिकार में प्रयुक्त फंदे बरामद किए गए हैं। एसटीएसएफ ने 23 जुलाई को उत्तरप्रदेश के आगरा में तेंदुए की 10 खालों के साथ शिकारी तस्करों को पकड़ा था। जांच में गिरोह के तार मध्यप्रदेश से जुड़े पाए गए। इसके बाद एसटीएसएफ और स्थानीय वन अमले की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की निशानदेही पर श्योपुर से तेंदुए के अंग और शिकार में इस्तेमाल किए गए लेग होल्ड ट्रैप बरामद किए गए।

राजधानी में आज तिरंगा यात्रा, कई मार्गों पर यातायात रहेगा परिवर्तित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा 9 अगस्त को आयोजित तिरंगा यात्रा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने यातायात और पार्किंग व्यवस्था जारी की है। यात्रा सुबह 9 बजे टीटी नगर स्टेडियम से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचेगी। यात्रा मार्ग पर भारी वाहनों, लोक परिवहन और अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

यात्रा टीटी नगर स्टेडियम के मुख्य द्वार से शुरू होकर महाराणा प्रताप मार्ग, एक्सिस बैंक तिराहा, टीटी क्रॉस और रोशनपुरा चौराहा पहुंचेगी। यहां से वापस टीटी क्रॉस, थाना चौराहा, सेंट्रल प्वाइंट और मटकू तिराहा होते हुए टीटी नगर स्टेडियम में समाप्त होगी।

रोशनपुरा से एक्सिस बैंक तिराहा जाने वाले वाहन रंगमहल चौराहा, जवाहर चौक और अटल पथ होकर जा सकेंगे। प्लैटिनम प्लाजा चौराहा से रोशनपुरा जाने वाले वाहनों को अटल पथ, जवाहर चौक और रंगमहल की ओर भेजा जाएगा। प्लैटिनम प्लाजा और एक्सिस बैंक तिराहा की ओर से आने वाले वाहन अंकुर स्कूल, मालवीय नगर और गांधी पार्क मार्ग का उपयोग कर सकेंगे।

यात्रा में शामिल लोगों के वाहनों के लिए तीन स्थानों पर पार्किंग रहेगी। न्यू मार्केट और रंगमहल से आने वाले वाहन हाट बाजार रोड, डिपो चौराहा और जवाहर चौक की ओर से आने वाले वाहन लाडली लक्ष्मी वाटिका तथा माता मंदिर और प्लैटिनम प्लाजा की ओर से आने वाले वाहन राम मंदिर रोड पर वाहन खड़े कर सकेंगे।

टैक्सी चालकों का ऐलान, 18 से 20 अगस्त के बीच सीएम आवास का घेराव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः एग्रीगेटर कंपनियों की किराया नीति और कथित मनमानी के खिलाफ भोपाल के टैक्सी चालकों ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। शनिवार को चिनार पार्क में हुई बैठक में 15 अगस्त को बड़ी रैली निकालने तथा 18 से 20 अगस्त के बीच मुख्यमंत्री आवास के घेराव का निर्णय लिया गया। आंदोलन की अंतिम तिथि जल्द तय की जाएगी।

टैक्सी यूनियन कल्याण समिति के भोपाल प्रभारी जावेद खान ने बताया कि 15 अगस्त को बोट क्लब से लालघाटी तक रैली निकाली जाएगी। इसमें बड़ी संख्या में टैक्सी चालक शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रैली शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से निकाली जाएगी।

संगठन की प्रमुख मांग मध्य प्रदेश में टैक्सी किराया निर्धारित करने की स्थायी नीति लागू करना है। प्रस्तावित व्यवस्था में प्रत्येक यात्रा पर 50 से 60 रुपये आधार किराया, यात्रा अवधि के लिए 1 से 1.50 रुपये प्रति मिनट तथा वाहन की श्रेणी के अनुसार 22 से 30 रुपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित करने की मांग की गई है। निजी नंबर वाले वाहनों और अवैध मोटरसाइकिल टैक्सी के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने की मांग भी की गई है।

भोपाल टैक्सी चालक संघ के महामंत्री राजेश कुमार नागले ने बताया कि 18 से 20 अगस्त के बीच प्रदेशभर से चालक भोपाल पहुंचेंगे।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-1, नर्मदापुरम (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना क्रं. 30/2026/e-Tender/N.Puram **दि. 05/08/2026**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्यों का विस्तृत विवरण बेवसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है :-

स. क्रं.	टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्रमांक	कार्य की अनुमानित राशि (लाख में)	अमानती राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2026_PWDRB_527156	नर्मदापुरम	भवन कार्य	नर्मदापुरम के पशु चिकित्सा विभाग के उप निदेशक कार्यालय के प्रथम तल पर मीटिंग हॉल का निर्माण।	प्रथम	15.97	31940/-
2	2026_PWDRB_527157	नर्मदापुरम	सड़क कार्य	ग्राम पंचायत रतवाड़ा में रतवाड़ा से सेल मार्ग का निर्माण लंबाई 0.37 कि.मी. एवं ग्राम भिलाड़िया कला में गोपाल यादव एवं शेखर यादव के खेत के पास एक-रो पुलिया का निर्माण (विधायक निधि)	प्रथम	2.54	5080/-
				कुल योग रूपये		18.51	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डॉक्यूमेन्ट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 19/08/2026 सायं 17:30 बजे निर्धारित है। विस्तृत एन. आई. टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा । पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा। मूल एफ. डी. आर. एवं अन्य दस्तावेज केवल ऑनलाईन ही प्राप्त किए जावेंगे ।

जी-16875/26

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि. संभाग नर्मदापुरम

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन

दिनांक 31.07.2026

सार्वजनिक सूचना

प्रकरण क्रमांक 00/अ-82/2026-27 चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची में खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक्ता है अथवा आवश्यक्ता पडने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/शा 2 ए भोपाल दिनांक 12 नबम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। अतएव निम्न दर्शित भूमि धारको से परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबधित विभाग/उपक्रम में पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति की भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर) में आधार सहित प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जावेगा ।

अनुसूची
भूमि का वर्णन

क्रं.	भूमि स्वामी का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	कुल रकबा हे.में	अर्जित रकबा हे. में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06	07	08
01	राजू आ. ग्याप्रसाद यादव	सुनेटी	144/1	1.364	0.158	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रायसेन	बेगमगंज सागर मार्ग (SH-86 A) से महुआखेडाकलां, गोरखा,पडरिया, राजाधार,से सिलवानी सागर (SH-15) मार्ग निर्माण
02	भागवतीबाई पत्नी दुर्गाशंकर	सुनेटी	144/2	0.688	0.159		
03	पूजा पत्नी रविशंकर सिलावट	सुनेटी	539/135	0.518	0.004		
04	खिलान आ. चेतु	सुनेटी	149/1	2.023	0.170		
05	हरिसेवक आ. मलथूनाई	सुनेटी	149/2/1	0.405	0.051		
06	अक्षय आ. रामसेवक	सुनेटी	149/2/2	0.404	0.051		
07	सीताराम आ. गोपाल कुम्हार	सुनेटी	150/2/1	0.407	0.016		
08	गणपत आ. बाबूलाल कुम्हार	सुनेटी	150/2/2	0.297	0.017		
09	सीताराम आ. गोपाल कुम्हार	सुनेटी	151	0.093	0.050		
10	सीताराम आ. गोपाल कुम्हार	सुनेटी	159/1/1/1	0.263	0.110		
11	सीताराम आ. गोपाल कुम्हार	सुनेटी	159/2	0.077	0.040		
12	विष्णुप्रसाद आ. परषोत्तम	सुनेटी	159/1/1/2	1.619	0.150		
13	गणपत आ. बाबूलाल कुम्हार	सुनेटी	159/121/2	1.315	0.150		
			योग सुनेटी	9437	1.126		

सक्षम अधिकारी/भू अर्जन, एवं अनुविभागी अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग बेगगगंज जिला-रायसेन

जी-16842/26